20/6/25

वाद सं. 60/25
BNSS 163

आदेश

उभय पक्ष के द्वारा दाखिल काल पृच्छा का अध्ययन करने, उभय पक्ष के द्वारा दाखिल दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन तथा मूल्यांकन करने, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के दलीलों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उभय पक्ष में से प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष के पक्षकार सं. 01 तथा 02 आपस में सहोदर भाई तथा भागी हैं, पक्षकार सं. 03 और 04 (द्वितीय पक्ष) ने वकालत के

जारी

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 60/25	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
20/6/25	माध्यम से उक्त भूमि को खरीदा है। प्रस्तुत मामला उभय पक्ष के मध्य बँटवारा (partition) तथा स्वत्व (Title) से संबंधित है। बँटवारा तथा स्वत्व संबंधी विवेचन अधोहस्ताक्षरी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है अतः उक्त वाद में किसी पक्ष के हित में या विरुद्ध कोई आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को चाहिए कि सक्षम न्यायालय में उचित-युक्त (Appropriate) वाद दायर कर मामले का स्थायी निपटारा कर लें। उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है। लेखापित एवं संशोधित Sd/- 20/6/25 SDM Bagodar-Saria. Sd/- 20/6/25 SDM Bagodar-Sariya.	

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.08.25 13:30:01 +05:30
Location: 192.168.137.1